कार्यालय प्रधानाचार्य::राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) 285001।

पत्रांक–2634/रा0मे0का0/कोविड–19/विज्ञप्ति/2023 दिनांक–05/01/2023

विज्ञप्ति सूचना

(कोविड–19) प्रथम विज्ञापन)

राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) के विभिन्न विभागों में एन0एम0सी0 मानकों, छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन तथा मरीजों को बेहतर जॉच उपचार इत्यादि एवं भविष्य में कोरोना (कोविड–19) महामारी की आशंका के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षकों की कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वाक इन इन्टरव्यू) दिनांक–06 फरवरी 2023 को समय पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक सम्पन्न होगा। अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु एन0एम0सी0 के मानकों के अनुसार समस्त शैक्षिक (एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0)/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट बायोडाटा सहित, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड (आई0डी0 प्रूफ) के साथ केन्द्रीय पुस्तकालय, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) में समय से उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकते हैं। विज्ञापन राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) की वेबसाइट–www.gmcjalaun.com पर भी उपलब्ध है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विभागवार रिक्त पद								
		आचार्य			सह–आचार्य			सहायक आचार्य		
		Sc/st	Gen	Obc	Sc/st	Gen	Obc	Sc/st	Gen	Obc
01	आर्थोपैडिक्स विभाग	1	0	0	1	0	0	1	0	0
02	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	0	1	0	0	0	0	0	1	1
03	एनेस्थीसियोलॉजी विभाग	0	0	0	0	1	0	1	1	0
04	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी विभाग	0	[illegible]	0	1	0	0	0	[illegible]	0
05	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	1	1	0	1	2
06	जनरल मेडिसिन विभाग	0	0	0	0	1 +1*	1	1	1*+1	1
07	जनरल सर्जरी विभाग	1	0	0	0	0	1	0	0	0
08	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	0	1	0	0	0	0	1	0	0
09	डर्मेटोलॉजी वेनरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	0	0	1	0	1	0	0	0	0
10	पीडियाट्रिक्स विभाग	0	0	0	0	1	0	0	1	0
11	पैथोलॉजी	0	0	1	0	1	2	0	0	0
12	फार्माकोलोजी विभाग	0	1*	0	0	1*	0	0	0	0
13	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	बायोकेमेस्ट्री विभाग	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	1	0	0	0	[illegible]	0	0	0	1
16	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	0	1	0	0	0	1	0	1	0
17	रेडियोथेरेपी विभाग	0	0	1	0	1	0	0	1*	1
18	साइकियाट्री विभाग	0	1	0	1	0	0	1	0	0

अभ्युक्ति–एस0सी0/एस0टी0 कॉलम में दर्शाये गये स्टार चिन्हित रिक्त पद अनुसूचित जनजाति तथा अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये स्टार चिन्हित रिक्त पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं।

शर्तें–01–चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य राजकीय सेवा नियमावली तथा शासन की नीतियों एवं निर्धारित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

02–इस साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने पर संविदा पद हेतु नियत मानदेय/वेतन ही देय होगा।

03–चयन के सम्बन्ध में चयन समिति/शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा तथा शासन/चयन समिति को आवश्यकतानुसार किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

04–चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही पूर्ण की जाएगी किन्तु आरक्षण रोस्टर से सम्बन्धित भविष्य में शासन से यदि कोई शासनादेश प्राप्त होता है तो चयन की प्रक्रिया उक्त शासनादेश के अनुसार ही सम्पादित/निर्धारित की जाएगी।

05–संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश दिनांक–10.06.2020 के अनुसार निर्धारित अधिकतम उम्र (60, 64, 68 वर्ष) का पालन अनिवार्य होगा। एम0डी0/एम0एस0 अभ्यर्थी का एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 में स्थाई पंजीकरण होना अनिवार्य है।

06–अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष अथवा विज्ञापित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए ही होगी। इसके उपरान्त अभ्यर्थी चयनित पद पर स्थायीकरण अथवा नियमितीकरण अथवा शासनादेश के विरूद्ध सेवाविस्तार का दावा नहीं कर सकेगा।

07–पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है, जिसके लिए शासन एवं संस्था को पूर्ण अधिकार होगा। ई0एन0टी0, जनरल सर्जरी, जनरल मेडि0, कम्यु0 मेडि0, बायोकेमेस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मनोरोग आदि विभागों हेतु पूर्व प्रेषित चयन प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं यदि उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश शासन द्वारा निर्गत किया जाता है तो उन पदों पर पुनः चयन/भर्ती नहीं होगी एवं वह पद स्वतः शून्य माने जाएंगे।

08–वाक इन इन्टरव्यू के समय पद की अर्हता हेतु वांछित समस्त प्रपत्र/प्रमाण पत्र साक्षात्कार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा केवल ईमेल तथा डाक से प्रेषित आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, अभ्यर्थी का साक्षात्कार मे समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में अधूरे प्रपत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

09–आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

10–कोविड–19 महामारी अथवा किसी भी महामारी, तथा आकस्मिक आपदा नियंत्रण में ड्यूटी करना बाध्यकारी होगा।

(डा0 द्विजेन्द्र नाथ)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडीकल कालेज
जालौन (उरई)

Scanned with CamScanner